न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 377/2021

प्रार्थीगण :–

1. झमुदेवी पत्नि स्व. घेवरराम
2. बुधाराम पुत्र स्व. घेवरराम
3. जयराम पुत्र स्व. घेवरराम
4. निम्बाराम पुत्र स्व. घेवरराम
5. लीला पत्नि स्व. हड़मान
6. महिपाल पुत्र स्व. हड़मान, नाबालिग जरिये कुदरती माता लीला
7. सियाराम प्राकृतिक पुत्र घेवरराम गोदपुत्र खिमाराम,

जातियान राईका निवासीगण बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

भूमिधारी जरीये तहसीलदार, पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री रमेश देवासी प्रार्थीगण की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय दिनांक : 01.11.2021

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण सभी स्व. घेवरराम पुत्र भूराराम के प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिसान है । ग्राम बुचकलां पटवार क्षैत्र बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर के खसरानम्बर 38/692 रकबा 15–13 बीघा भूमि आई हुई है । उक्त खसरा की हिस्सा भूमि को पक्षकारो के पूर्वज श्री घेवरराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर खरीद किया गया । जिस बेचान की रूह से उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उनके नाम से म्युटेशन दर्ज होकर खातेदारी दर्ज की गयी तद्नुसार श्री घेवरराम पुत्र भूराराम उक्त भूमि के सह खातेदार हुए । उक्त खातेदारी दर्ज होने के बाद राजस्व रेकर्ड में विक्रम सम्वत् 2045 तक उनका वास्तविक नाम घेवरराम पुत्र भूराराम दर्ज चलता रहा है लेकिन अचानक ही उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखो में आइन्दा अवधि की दर्ज खातेदारी में अर्थात् विक्रम सम्वत् 2046 से तत्कालीन राजस्व अधिकारियो द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज के वास्तविक घेवरराम पुत्र भूराराम के स्थान पर घेवरराम पुत्र मूलाराम दर्ज कर दिया । यानि कि उनके पिता के वास्तविक नाम भूराराम के स्थान पर मूलाराम दर्ज कर दिया गया । जिसे शुद्ध किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 में जरिये अधिवक्ता रमेश देवासी दिनांक 07.07.2021 को न्यायालय हाजा में पेश किया ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 07.07.2021 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार ने दिनांक 01.11.2021 को जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम बुचकलां के खाता सं. 350 में दर्ज नाम घेवरराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर सही नाम घेवरराम पुत्र भूराराम दर्ज किया जाने की अनुशंषा की है ।

हमने दिनांक 01.11.2021 को बहस उभय पक्षकारान सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम बुचकलां के खाता सं. 350 खसरा नम्बर 38/692 में दर्ज नाम घेवरराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर घेवरराम पुत्र भूराराम किया जावें । इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपनी बहस में जवाब दावे के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि खाता सं. 350 खसरा नम्बर 38/692 में दर्ज नाम घेवरराम पुत्र मुलाराम के स्थान पर घेवरराम पुत्र भुराराम किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना उपरान्त एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बुचकलां के खाता सं. 350 खसरा नम्बर 38/692 में दर्ज नाम घेवरराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर घेवरराम पुत्र भूराराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को तहरीर जारी हो, उभय पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दूदाराम)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)